Crim - 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 07/13

मुकेश दत्तक पुत्र चोखरिया उम्र करीब 25 वर्ष कौम जाटव निविासी ग्राम भिलगवां तहसील व जिला धौलपुर।

----- अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बसई सामन्ता पंचायत समिति धौलपुर
2. भगवान सिंह पुत्र रोशन । जाति जाटव निवासी ग्राम
3. दिनेश पुत्र रामलाल । खेडा तहसील व जिला धौलपुर

----- रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामा0 आदेश सरपंच ग्राम पंचायत वसई सामन्ता बावत नामा0 सं0 469 ग्राम भिलगवां तारीखी 20.3.13

उपस्थितिः– मुकेश अपीलाण्ट स्वयं
भगवान सिंह रैस्पोडेंट सं0 2
सरपंच ग्राम पंचायत कोटपुरा रैस्पोडेंट सं0 1

निर्णय दिनांक – 01.05.18

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजीयात मुन्दर्जे नामा0 सं0 469 ग्राम भिलगवां के खाता 193 में अपीलाण्ट की माता लीलावती वेवा चौखरिया 1/2 भाग की एवं खाता संख्या 188 वाके ग्राम भिलगवां में अपीलाण्ट की माता लीलावती 1/16 भाग की खातेदार काश्तकार थी तथा अपनी जीवन पर्यन्त अपीलाण्ट की माता आराजीयात मुन्दर्जे नामा0 सं0 469 ग्राम भिलगवां मुताविक हिस्सा काश्त करती रही। लीलावती का देहान्त अपील दायरी से 4 वर्ष पूर्व हो चुका है उनके द्वारा निधन के पश्चात वारिस के रूप में एक मात्र दत्तक पुत्र अपीलाण्ट मुकेश को छोडा है। इस प्रकार लीलावती के निधन के उपरान्त विवादित आराजी में लीलावती का समस्त तर्का विरासतन अपीलान्ट पर प्रकान्त हुआ व बतौर स्वामित्वधारी के काविज हुआ। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से साज कर आराजीयात मुन्दर्जे नामा0 सं0 469 ग्राम भिलगवां के खाता संख्या 193 पर फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अवैद्य रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 20.3.13 को नामा0 पारित कराया है। इससे असंतुष्ट

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)

होकर अपीलाण्ट निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है। नामा0 आदेश तारीखी 20.3.13 वखिलाफ कायदे कानून है। अधीनस्थ अधिकारी रेस्पोडेंट सं0 1 द्वारा अवैद्य रूप से अन रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर खाता संख्या 193 वाके ग्राम भिलगवां के बावत नामान्तकरण आदेश पारित कर बहुत बडी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है इसी विनाय पर नामा0 आदेश काविल खारिजी है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विरोधाभासी आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा खाता संख्या 188 के वावत नामान्तकरण पंजिका में अंकित प्रविष्टियों के अनुरूप तथा खाता संख्या 193 के वाव प्रविष्टियों के अनुरूप जाकर मनमाने तरीके से फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नामा0 आदेश पारित किया है जो कि विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है व काविल खारिजी है। दिनांक 5.9.13 को अपीलाण्ट ने हल्का पटवारी से जमावन्दी की नकल प्राप्त की तभी अपीलाण्ट आदेश के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा दिनांक 6.9.13 को नामा0 आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थी का देरी से ज्ञान के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत करता है फिर भी वरफू हुज्जात म्याद अधिनियम प्रस्तुत है। अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण आदेश संख्या 469 तारीखी 20.3.13 ग्राम भिलगवां को मन्सूख फरमाये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जबाव पेश किया जिसके अनुसार आराजी मुन्दर्जे नामा0 सं0 469 ग्राम भिलगवां खाता संख्या 193 में लीलावती के जीवन पर्यन्त रैस्पोडेंट संख्या 2 व 3 आराजीयात की देखभाल व प्रबन्ध करते थे तथा उसके मरने के पश्चात उक्त आराजीयात मुन्दर्जे पर काविज काश्त हुये। लीलावती का निधन 2.11.08 को हुआ तथा अपने वारिस के रूप में अपीलांट को दत्तक पुत्र के रूप नहीं छोडा है। लीलावती ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 19.7.04 को रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के हक में रजिस्टर्ड वसीयतनामा तस्दीक कराया था जिसमें अपनी स्वअर्जित उक्त विवादित आराजी के अपने समस्त 1/2 भाग में निस्फ मकान इत्यादि के बारे में तस्दीक कराया था जिसके अनुसार मृतक लीलावती के बाद रैस्पोडेंट संख्या 2 व 3 कब्जे काश्त हुये। उक्त नामान्तकरण कायदे कानून से खोला है व विधि संगत है। रैस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है। मृतक लीलावती ने अपने जीवन काल में अपीलाण्ट को कभी दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं किया। रैस्पोडेंट के द्वारा अपील प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत वसई सामन्ता में पेश हुयी। अपीलाण्ट व रैस्पोडेंट सं0 1 व 2 उपस्थित आये। उभयपक्ष को सुना गया व पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
बोलपुर (राज०)

का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न रिकार्ड के प्रमाणित प्रति नामा0 सं0 469 ग्राम भिलगवां के अनुसार पटवारी के द्वारा कालम संख्या 9 में मृतक लीलावती के वारिसान के रूप में दत्तक पुत्र मुकेश का नाम भर कर नामांतकरण पटवारी के द्वारा पेश किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बसई सामन्ता के द्वारा नामांतकरण की पुश्त पर अपना निर्णय अंकित कर वसीयत के आधार पर मुकेश के स्थान पर रैस्पोडेंट संख्या 2 व 3 भगवान सिंह व दिनेश के नाम से निर्णय पारित किया गया है। ग्राम पंचायत को नामांतकरण स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार था ना कि नामांतकरण की पुश्त पर पृथक से निर्णय पारित कर कालम संख्या 9 के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के नाम स्वीकार करने का। इस प्रकार का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त नामांतकरण संख्या 469 ग्राम भिलगवां निरस्त योग्य है। अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 469 ग्राम भिलगवां तारीखी 20.3.13 को निरस्त कर तहसीदार धौलपुर को आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष की सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहसीलदार धौलपुर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत बसई सामन्ता में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर